International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 20-09-2019; Accepted: 22-10-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 6; November 2019; Page No. 98-100

सतना जिला में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयनः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. के.के. सिंह [1], सावित्री पटेल [2]

[1] प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

[2] शोध छात्रा समाजशास्त्र, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

इस शोध पत्र के द्वारा सतना जिला में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयनः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी संचलनता और स्वतंत्र कार्यकरण के लिए परिवेश में विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। यह भी सच है कि अनेक संस्थानों में ऐसे वास्तुकला संबंधी अवरोध होते हैं जो दिव्यांग के लिए उनके दैनिक कार्यकरण में बाधाएं उत्पन्न करते है। दिव्यांगों की आवश्यकताओं के बारे में तथाउनके शिक्षण एवं विवाह प्रोत्साहन से संबंधित अन्य सामान्य मुद्दों के बारे में जागरुकता का सृजन की ओर आकर्षित किया है। इसके पीछे मुख्य कारण विकास संबंधी मुद्दो के प्रति जागरुकता में वृद्धि होना है। शोध क्षेत्र के उत्तरदाताओं के मतानुसार 63.00 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी है लेकिन 57.00 प्रतिशत दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लिये है। इसी प्रकार 60.00 प्रतिशत निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी है और 63.00 प्रतिशत शोध क्षेत्र में क्रियान्वयन है। शोध क्षेत्र में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

मूल शब्दः सतना जिला, निःशक्तजन, योजनाएँ, क्रियान्वयन

1. प्रस्तावना

ग्रामीण विकास योजना से तात्पर्य उन सभी प्रयासों से है जिससे कि एक समुदाय विशेष को सामाजिक, सांस्कृति तथा आर्थिक पहलुओं में विकास किया जा सके। इसके लिए जनता तथा सरकार दोनों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। वास्तव में ग्रामीण विकास योजना गहन विकास के लिये एक संगठित तथा नियोजित प्रयत्न है।

योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण विकास वह विधि है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूण इच्छित परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिमान किया जा सकेगा।

सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया गया। परन्तु कार्यक्रम जिस गति से बदलते गये, अस गति से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आया। इसके अनेक कारण है, जहाँ एक ओर प्रशासनिक ढॉचे में अनेक कमियों के कारण यह प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण लोग इसके लिये स्वयं दोषी है। भारत वर्ष की लगभग 80.1 प्रतिशत जनता गॉवों में रहती है। गॉवों की कुछ संख्या करीब 567000 (जनगणना 2011) है। इन गॉवों की दशा में सुधार करना अपेक्षित है। गॉवों के लोग परम्परावादी अधिक होते है, वहॉ गरीबी, अज्ञानता, गन्दगी, अशिक्षा तथा अन्धविश्वास सदियों से चला आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भार सरकार ने अपने समाज के पुननिर्माण कार्यक्रमों में भारतीय ग्रामों के लिए भी कार्यक्रम बनाये है। सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक विकास योजनाऍ है जिसके द्वारा गॉवों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ग्रामीण विकास से तात्पर्य गॉवों के लोगों का सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना है। ग्रामीण विकास का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह काफी पहले से ही प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसी कारण प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम लागू किये गये।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल सतना जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन का आंकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है। शोधार्थी द्वारा चयनित शोध कार्य इस क्षेत्र में पूर्णतः नवीन है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

3. शोध की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् हैः–

1. शोध क्षेत्र में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. शोध क्षेत्र में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

4. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया हैः–

- शोध क्षेत्र में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की वस्तुस्थिति का पता लगाना।
- शोध क्षेत्र में निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का आंकलन करना।

5. शोध समस्या का सीमांकन

5.1 भौगोलिक परिसीमनः प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र सतना जिला है। इसके अन्तर्गत सभी विकासखण्ड सम्मिलित हैं।

5.2 विषयवस्तु का परिसीमनः अध्ययन की विषयवस्तु का परिसीमन, जिला अन्तर्गत निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का

क्रियान्वयन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

6. शोध विधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 साक्षात्कार विधिः शोध क्षेत्र में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयनः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत, नगर/ कस्वों व विकासखण्डों से वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

सतना जिला में निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित 300 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार हेतु किया गया है।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने निःशक्तजन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की वर्तमान स्थिति पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – खान, गुफरान (2008)[1], चौरसिया, मुकेश (2008)[2], जैन, पुखराज (2000)[3], सिंह, डॉ. ए. पी. (2002)[4], सिंह, और सम्राट अशोक (2015)[5], सिंह, डॉ. आनंद प्रकाश (2007)[6], श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार (2004)[7]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7424 वर्ग कि.मी. है जो प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.78 प्रतिशत है। सतना मध्य रेल्वे के इलाहाबाद और कटनी जंक्शन के बीच एक प्रमुख रेल्वे स्टेशन एवं व्यापारिक, औद्योगिक नगर है। जिले में एक नगर निगम (सतना), एक नगरपालिका (मैहर) के अतिरिक्त 9 नगर पंचायते क्रमशः नागौद, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, कोठी, जैतवारा, कोटर, विरसिंहपुर, उचेहरा एवं चित्रकूट हैं। इसका विस्तार 23.58° उत्तरी अक्षांश से 25.12° उत्तरी अक्षांश तथा 80.12° पूर्वी देक्षांश से 81.23° पूर्वी देक्षांश के मध्य है। समुद्र तल से ऊँचाई 317 मीटर है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में निम्नानुसार है–

निःशक्तजन कल्याण योजना

प्रदेश की उन्नति का लाभ समाज के हर वर्ग के हर घर तक पहुंचे, प्रदेश नेतृत्व की इस मंशा ने निःशक्तजन कल्याण की योजनाओं को मार्ग प्रशस्त किया। ये योजनाएँ निःशक्तजनों के मुख्य धारा में शामिल होना सुनिश्चित कर रही है।

- निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु चुनौती अभियान।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना।
- निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना।
- निःशक्तजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ।
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
- निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना।
- निःशक्त हेल्पलाइन।

सारणी 1: दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	जानकारी है	190	63.00
2.	जानकारी नहीं है	60	20.00
3.	कोई उत्तर नही	50	17.00
योग		300	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18

उपरोक्त सारणी क्र. 1 के अनुसार स्पष्ट होता है कि 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी है। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी नही है, जबकि 17.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

सारणी क्रमांक 2: दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	लाभ प्राप्त हुआ है	170	57.00
2.	लाभ नहीं हुआ है	100	33.00
3.	कोई उत्तर नही	30	10.00
योग		300	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 33.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ है, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अतः उपरोक्त सारणी क्र. 1 एवं 2 के अवलोकन से परिकल्पना क्र. 1 सत्यपित होती है।

सारणी 3: निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का अध्ययन

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	जानकारी है	180	60.00
2.	जानकारी नहीं है	60	20.00
3.	कोई उत्तर नही	60	20.00
योग		300	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18

उपरोक्त सारणी क्र. 3 के अनुसार स्पष्ट होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी है। 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी नही है, जबकि 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

सारणी 4: निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना से लाभ

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	लाभ प्राप्त हुआ है	190	63.00
2.	लाभ नहीं हुआ है	80	27.00
3.	कोई उत्तर नही	30	10.00
योग		300	100.00

स्त्रोत – शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2017–18

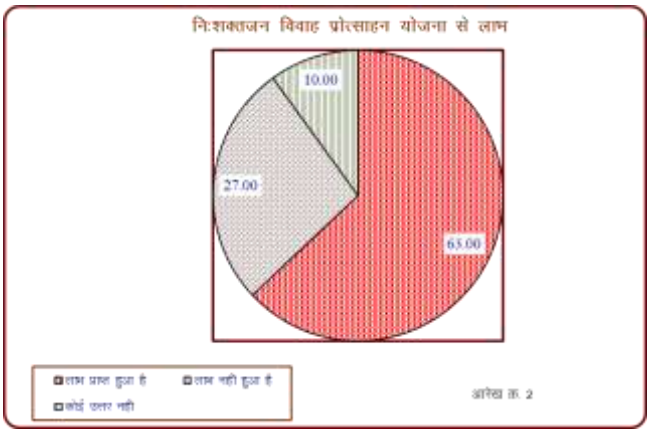

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 27.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ है, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

अतः उपरोक्त सारणी क्र. 3 एवं 4 के अवलोकन से परिकल्पना क्र. 2 सत्यपित होती है।

निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है

- शोध क्षेत्र के 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की जानकारी है।
- शोध क्षेत्र के 57.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
- शोध क्षेत्र के 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी है।
- शोध क्षेत्र के 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

संदर्भ सूची

1. खान, गुफरान, ''सागर जिले में ग्रामीण विकास अभिकरण क अंतर्गत संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन'', अप्रकाशित शोध प्रबंध, प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.), 2008।
2. चौरसिया, मुकेश, "ग्रामीण विकास में स्वस्थ्य सेवाओं का महत्व", कुरुक्षेत्र, 2008; वोल्यूम 54 अंक 12.
3. जैन, पुखराज, मध्यप्रदेश एक अध्ययन, साहित्य भवन, पब्लिकेशन, आगरा, 2000।
4. सिंह, डॉ. ए. पी., ''भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास'', गुप्ता पब्लिशर्स नागपुर, महाराष्ट्र, 2002।
5. 5 सिंह, और सम्राट अशोक, "ग्रामीण विकास में विकास योजनाओं की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", रिसर्च फ्रन्ट, 2015; वोल्यूम 3(1), पृ. 121–128.
6. सिंह, डॉ. आनंद प्रकाश, सुनिचित रोजगार एवं ग्रामीण विकास, अमन प्रकाशन सागर, 2007।
7. श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, ''म.प्र. पंचायती राज की ग्रामीण विकास में भूमिका'', अप्रकाशित शोध प्रबंध, वाणिज्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.), 2004।